सातवीं अनुसूची

[धारा 143(1) देखिए]

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 [31/2002, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 21 जून, 2001] द्वारा प्रकाशित किए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 का उपनियम (3)	केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।"।	1 जुलाई, 2001

Website: http://indiabudget.nic.in